

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-439  
बुधवार, 5 फरवरी, 2020/16 माघ, 1941 (शक)

वार्षिक रोजगार वृद्धि दर

439. श्री मानस रंजन भूनिया:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वार्षिक रोजगार वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान देश में कुल रोजगार सृजन का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कोई पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात नीचे दिया गया है।

कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)	
सर्वेक्षण का वर्ष	व्यक्ति
2017-18 (पीएलएफएस)	46.8
श्रम ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण	
2015-16	50.5
2013-14	53.7

(टिप्पणी: पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

(ख): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, व्यापक औद्योगिक डिवीजन की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित कामगार प्रतिशत वितरण नीचे दिया गया है।

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	श्रम ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण		एनएसओ द्वारा सर्वेक्षण
	2013-14	2015-16	2017-18*( पीएलएफएस)
प्राथमिक	48.3	47.3	44.14
द्वितीयक	22.4	21.9	24.81
तृतीयक	29.3	31.0	31.07

(टिप्पणी: \*पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

(ग): युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

एएसपीआईआरई (नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता के संवर्द्धन के लिए योजना) कृषि-उद्योग में उद्यमशीलता को तेजी से बढ़ाने के लिए औद्योगिक केंद्रों के नेटवर्क तथा उद्भवन केंद्रों की स्थापना के लिए प्रारंभ की गई थी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) की एएसपीआईआरई योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्ति कृषि-उद्यमी बन सकते हैं तथा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), जिसके तहत बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा 15-35% तक राज-सहायता प्रदान की जाती है, सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति संबंधित उद्योग में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं अथवा आगे उच्चतर कौशल/प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

रोजगार सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार, ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों से लाभ प्राप्त होगा।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षता संबर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

\*\*\*\*\*